राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	29/2025 उमराव बनाम भौमाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी मय का पेश किया, जिसकी प्रति विपक्षी अधिवक्ता को उपलब्ध करवायी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण की इस स्टेज पर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी संख्या 1 उमराव की दूसरी पत्नी स्व. श्रीमती बनारसी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/12/2025 को पेश हो।	
18/12/2025	अभि. अपीलान्ट/रेस्पो उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 19/12/2025 को पेश हो। अनिवार्य रूप से बहस हेतु पेश हो।	
19.12.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि- उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस बाबत दायरी प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। अधि- उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का मय अपील पत्रावली अवलोकन किये जाने से प्रार्थना पत्र बाबत दायरी स्वीकार किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित समझा जाता है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत दायरी स्वीकार किया जाकर अपील पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल अपील पत्रावली रहे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	